C52

# राजस्थान सरकार
## निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 5(90)/निपेवि/नियम/2010/पार्ट–IV 750-900 दिनांक : 16-02-2016

विभागाध्यक्ष (समस्त)

**विषयः–** उपादान (ग्रेच्यटी) अधिकृतियों में विभागीय वसूलियों के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय में निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि उपदान राशि में से वसूली प्रस्तावित के साथ विस्तृत बजट मद की सूचना अंकित न होने पर कोषालय स्तर पर राशि वसूल कर बजट मद में जमा कराना संभव नहीं हो पाता। पेंशन प्रकरण में वसूली की अभिशंषा के साथ बजट मद की सूचना नहीं होने पर पेंशन विभाग द्वारा भी पेंशन प्रकरण लौटाये जाते है। इस प्रकार प्रकरण के निस्तारण, उपादान के भुगतान समायोजन में अनावश्यक विलम्ब होता है।

विभागीय वसूलियां कर्मचारी को देय वेतन/अवकाश नकदीकरण राशि में से वसूल की जानी चाहिये ताकि वसूली में विलम्ब न हो साथ ही पेंशन प्रकरण के निस्तारण एवं उपादान के भुगतान एवं समायोजन में भी विलम्ब न हो। यदि अवकाश नकदीकरण की राशि से वसूली करने के उपरान्त भी उपादान राशि से शेष राशि की वसूली आवश्यक होतो पेंशन प्रकरण में वसूली का विवरण विस्तृत जमा बजट मद व अभिशंषा भिजवायी जानी चाहिये।

आपसे अनुरोध है कि अपने अधिनस्थ अधिकारीयों को कृपया समुचित निर्देश प्रदान करें। भविष्य में इस कारण से पेंशन प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब तथा राशि सही मद में समायोजित न होने के लिये सम्बन्धित विभाग के अधिकारी उत्तरदायी होगें।

भवदीय

(के.के.गैडियोक)
निदेशक

क्रमांक : एफ 5(90)/निपेवि/नियम/2010/पार्ट–IV दिनांक :

**प्रतिलिपि** : निम्न को भेजकर लेख है कि भविष्य में उपादान राशि में से वसूली की अभिशंषा के साथ विस्तृत बजट मद सूचित करने पर अधिकृति में विस्तृत बजट मद लिखा जावे एवं विस्तृत बजट मद सूचित न करने पर प्रकरण वापस लौटाया जावे।

1. अतिरिक्त/संयुक्त निदेशक, क्षैत्रीय पेंशन एवं पेशंनर्स कल्याण कार्यालय, अजमेर/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/भरतपुर/जयपुर
2. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक पी.आर (मुख्यालय) ..... को भेजकर लेख है कि पेंशन प्रकरणों में उक्त वर्णित कमियां हो तो प्रकरण को अभिलम्ब पूर्ति हेतु लौटाया जावे।

(के.के.गैडियोक)
निदेशक